आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2016)
प्रवेश संबंधी नियम सत्र 2017–18

उद्देश्य :– योजना का उद्देश्य अनु. जन जाति, अनु. जाति के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बर्हिमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश कराया जाता है एवं शाला का पूर्ण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनांतर्गत कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।

छात्रों के चयन का मापदण्ड/पात्रता शर्तें :–

1. विद्यार्थी छ.ग. का मूल निवासी हो।
2. छ.ग. राज्य में मान्य अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला से में कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं में नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा चौथी एवं कक्षा सातवी की परीक्षा में 80% स अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है।
4. पालक की आय समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक न हो। निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।
5. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में ही अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजनान्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत सीट का निर्धारण :–

1. कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलावार सीट निर्धारित है। जिसे जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय से ज्ञात किया जा सकता है।
2. कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु कुल 50 सीट है। जिला स्तर पर चयन परीक्षा के आधार पर राज्य स्तर पर मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा।
3. उपर्युक्त सीट संख्या के आधार पर यह आवश्यकता नहीं कि सभी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश का निर्धारण बजट सीमा में उपलब्ध राशि अंतर्गत किया जा सकेगा।

प्रवेश परीक्षा का पैटर्न :– कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। इस हेतु 120 मिनट का समय होगा।

आवेदन कैसे भरें :–

1. निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र का अग्रेषण शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन के अग्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योग्यता यथा शैक्षणिक योग्यता, स्थाई जाति, निवास एवं आय संबंधी शर्ते पूर्व रहता है। अधूरे आवेदन अग्रेषित न किया जाए।
2. समस्त आवेदन पत्र वि.ख.शि.अ. संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में **दिनांक 28.02.2017 को 5.00 बजे शाम तक** जमा किये जा सकेंगे।

विस्तृत विवरण :– योजना के संबंध में विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाइट WWW.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय(जहॉ वह कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा है/रहीहै)केप्रधानाचार्य से सत्यापित हो

✓

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का पत्र वर्ष 2017–18

आय हेतु स्वघोषणा पत्र

(अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

मैं .... पिता .... उम्र .... निवासी ग्राम .... वि.खं. ...., जिला .... यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं –

1. मेरा पुत्र/पुत्री ने वर्ष .... **आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत** प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया है।
2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।
3. मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूं।
4. पिता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय ....

   माता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय ....

   पिता यदि अन्य व्यवसाय है तो आय ....

   परिवार के कृषि से आय ....

   आवेदक की आय ....

   कुल आय ....
5. मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय .... है।

उपरोक्त कंडिका 1 से 5 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदर रहूंगा।

पालक का हस्ताक्षर नाम सहित

पालक द्वारा घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया है।

(शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का पत्र वर्ष 2017–18

पावती

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय(जहॉ वह कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा है / रहीहै)केप्रधानाचार्य से सत्यापित हो

श्री / कुमारी .... पुत्र / पुत्री श्री ....

का आवेदन पत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय .... जिला ....

(छत्तीसगढ़) चयन परीक्षा वर्ष 2017–18 हेतु दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

टीप :– विद्यार्थी को आबंटित परीक्षा केंन्द्र एवं रोल नंबर की जानकारी जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास / विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या शाला से परीक्षा दिनांक से एक सप्ताह से पूर्व प्राप्त करें। जिन्हे प्रवेश पत्र ना मिला हो वे इस पावती के आधार पर परीक्षा में शामिल हो सकते है। परीक्षा दिनांक 19.03.2017 को 10.30 से 12.30 बजे तक संबंधित केन्द्र में होगी।

प्राप्तकर्ता (शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

छात्रों की सीट संख्या का निर्धारण :–

1 प्रवेश हेतु जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार हो सकेगीः–

क्र.	जिला	अनुसूचित जनजाति की निर्धारित सीट संख्या	अनुसूचित जाति की निर्धारित सीट संख्या
1	2	3	4
1.	सरगुजा	9	1
2.	बलरामपुर	4	1
3.	सूरजपुर	4	1
4.	कोरिया	4	1
5.	बिलासपुर	4	3
6.	मुंगेली	1	2
7.	कोरबा	6	2
8.	जांजगीरचांपा	2	4
9.	रायगढ़	8	2
10.	कवर्धा	2	2
11.	दुर्ग	2	2
12.	बेमेतरा	1	2
13.	बालोद	3	1
14.	रायपुर	2	4
15.	गरियाबंद	3	2
16.	जशपुर	6	2
17.	महासमुंद	2	3
18.	धमतरी	2	2
19.	जगदलपुर	8	2
20.	कोण्डागांव	4	1
21.	कांकेर	5	1
22.	दंतेवाड़ा	4	1
23.	सुकमा	3	1
24.	नारायणपुर	3	1
25.	बीजापुर	3	1
26.	बलौदाबाजार	1	2
27.	राजनांदगांव	4	3
योग		100	50

2 कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु कुल 50 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर प्रवीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें 30 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 20 सीट अनुसूचित जाति के लिए होगी। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु जिलेवार आरक्षण की व्यवस्था नहीं रखी गई है।